

बोर्ड और बोर्ड की समितियों का विवरण - ईसीजीसी

ईसीजीसी लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक मंडल के पास निहित है। ईसीजीसी लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के संदर्भ में, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक या एक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय एक और एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है), एक कार्यकारी निदेशक और ना तीन से कम और ना ही तेरह से अधिक अन्य निदेशक शामिल होंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रावधान है:

क्र.सं.	श्रेणी	पदों की संख्या
1.	पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक	
(क)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	1
(ख)	कार्यकारी निदेशक	1
2.	सरकारी निदेशक	
(क)	वाणिज्य मंत्रालय	1
(ख)	वित्त मंत्रालय	1
3.	भारतीय रिजर्व बैंक	1
4.	एक्विजिमेंट बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1
5.	सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2
6.	भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1
7.	FIEO के अध्यक्ष	1
8.	किसी भी ईपीसी का अध्यक्ष	1
9.	सरकार द्वारा नामित निर्यात से जुड़े गैर-सरकारी अधिकारी	4

वर्गीकरण - सार्वजनिक

बोर्ड ने विशिष्ट शक्तियों और विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल के नाम कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर देखे जा सकते हैं। निदेशक मंडल और बोर्ड की समितियों की बैठकें जनता के लिए सुलभ नहीं हैं। इसी प्रकार, निदेशक मंडल और बोर्ड की समितियों की कार्यवृत्त पुस्तकें जनता के निरीक्षण के लिए खुली नहीं हैं।

31.05.2024 तक ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा गठित बोर्ड-स्तरीय समितियों का विवरण

क्र.सं.	समिति	गठन की तिथि	कार्यकाल
1.	लेखा परीक्षा समिति	30.06.1999	लागू नहीं
2.	पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति	04.06.2010	लागू नहीं
3.	जोखिम प्रबंधन समिति	04.06.2010	लागू नहीं
4.	निवेश समिति	23.03.2007	लागू नहीं
5.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और सतत विकास समिति	10.08.2012	लागू नहीं
6.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	04.06.2010	लागू नहीं